17.40 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

LEVY OF SURCHARGE ON M.I.G. FLATS BY DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY.

MR. CHAIRMAN: We will now take up Half-an-Hour discussion.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मेरी यह आध घण्टे की चर्चा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य आय वर्ग के फ्लैटों पर अधिभार लगाए जाने के सम्बन्ध में है। यह जो डी०डी०ए० में धांधली चल रही है उससे सम्बन्धित है। मन्त्री महोदय काफी पुराने हो गए हैं। डी०डी०ए० के मामलों में वह काफी इन्टरेस्ट भी लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अब तक उनको सभी चीजों की पूरी जानकारी हो गई होगी।

आज तक दर्जनों बार डी०डी०ए० के सम्बन्ध में तरह तरह के चार्जिज लगाए गए हैं। एक बार यह लगाया गया एम्प्लायीज यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं श्री वर्मा उनकी तरफ से और सब के प्रैस कटिंग्ज मेरे पास हैं कि 33 करोड़ का घोटाला हुआ है। दूसरी बार यह लगाया गया कि सात करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। साथ ही यह भी लगाया गया कि जो अफसर डैपुटेशन पर अभी तक डी०डी०ए० में हैं उन पर जिन की संख्या दस हजार के करीब है वेतन भत्तों के अतिरिक्त तीस लाख रुपया ज्यादा खर्च डी०डी०ए० को करना पड़ रहा है। मच्छर मारने के नाम पर एक लाख रुपया दिया गया था जिस में बड़ी धांधली हुई। पुनर्वास के नाम पर 27 करोड़ रुपये मकान बनाने के लिए दिए गए थे लेकिन मुश्किल से दस करोड़ ही खर्च किए गए। सड़कों के किनारे तख्तियां लगाने के लिए जो 750 लगानी थीं मुश्किल से सौ लगाई गईं और इस तरह से उस में घोटाला हुआ। एक पर साढ़े चार सौ रुपया खर्च आता है। इस हिसाब से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना गड़बड़ घोटाला हुआ है। इन सब चीजों को मंत्री महोदय देख चुके हैं।

लेकिन मुख्य मुद्दा जो मैं आज उठाना चाहता हूं वह एम आई जी ग्रुप का उठाना चाहता हूं। उसके सम्बन्ध में मैंने तीन चार प्रश्न किये थे। एक प्रश्न के उत्तर को दूसरे प्रश्न के साथ मिला कर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन उत्तरों में कितना कन्ट्रेडिक्शन है। आप देखें कि एम०आई०जी० ग्रुप के लिए जो मकान बनाए जाते हैं उनकी कीमत 58 हजार रुपया रखने का फैसला किया गया था। लेकिन वसूला गया सत्तर हजार रुपया प्रति फ्लैट। आप नियम को देखें। डी०डी० ए० के फ्लैट्स दिल्ली डिवेलेपमेंट एक्ट 1957 और दिल्ली डेवेलपमेंट (मैनेजमेंट एण्ड डिसपोजल आफ हाउसिंग एस्टेट्स) रैग्युलेशन्स 1968 की शर्तों के अनुसार आवंटित होते हैं। दिल्ली डिवेलेपमेंट बिल 1957 के क्लाज 51 और 52 से सम्बन्धित मैमोरेंडम में स्पष्ट लिखा गया है कि पालिसी बनाने का अधिकार डी०डी०ए० को नहीं है। डी०डी०ए० को यह शक्ति नहीं है कि वह किसी तरह की सबसिडी दे इस प्रकार से।

मेरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि एक फ्लैट की कीमत 58000 होती है। जब इतनी होती है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 70 हजार क्यों लिया और कैसे लिया। आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से यह किया गया है। यह क्या होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। इस तरह से लाखों रुपया एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइन्ट आफ व्यू से आपने लोगों से अतिरिक्त लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके अन्तर्गत आता है या नहीं यह देखने वाली चीज है।

मेरे अतारांकित प्रश्न 161 जो 17 जुलाई 1978 का है उसके जवाब में मन्त्री महोदय ने कहा था कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में अधिभार लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह प्रशासनिक निर्णय है। फिर मेरे प्रश्न संख्या 247 के लिखित उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा था कि उसी कालोनी के वैसे ही फ्लैटों में अब कोई सबसिडी नहीं दी जा रही है। क्यों अधिभार लगाया गया इसका जवाब मन्त्री महोदय यही देंगे कि एल०आई०जी० और जनता फ्लैट जो बन रहे हैं उन के लिए यह सरचार्ज लगाया गया है और इसलिए लगाया गया है कि उनको सबसिडी देनी है और जो कमी पड़ती है उसकी थोड़ी पूर्ति हो सके। मैं कहूंगा कि यह कौन नियम है? यह कौन सी लोकप्रियता है जो आप अर्जित करना चाहते थे। आपने एम०आई०जी० में बारह हजार बढ़ा दिए और यह कह दिया कि जनता फ्लैट्स और एल०आई०जी० के जो फ्लैट हैं उन के वास्ते आप ऐसा कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि आपको अधिभार लगाने का अधिकार नहीं था फिर अगर लगाना ही था तो सिर्फ चार कालोनीज में ही क्यों लगाया? उसी में क्यों लगाया जो कालोनी अच्छी थी? जो सब से बढ़िया कालोनियां थीं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं— वहां आपने इस चीज को एप्लाई नहीं किया। वहां पर किया जिस को आप राजौरी गार्डन कहते हैं—मायापुरी—वहां पर जा कर आप दाम बढ़ाते हैं। दूसरी जगह पर आप दाम बढ़ा देते हैं। यदि आप दाम बढ़ाते हैं तो वे सब जगह बढ़ने चाहियें, लेकिन आप सब जगह पर दाम नहीं बढ़ाते हैं। कहीं आपने दाम बढ़ाये हैं 12,000 रुपये, कहीं 1,000 रुपये और कहीं पर दाम बढ़ाये ही नहीं गये हैं। मैं समझता हूं कि यह शुद्ध अफसरशाही का नमूना है। मन्त्री महोदय उस विभाग के प्रभारी हैं, मैं जानता हूं कि वह इस हाउस में उसको डिफेन्ड करेंगे, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह इस बात को अपने दिमाग में रखें कि एक ही जगह पर विभिन्न कालोनियों में दाम नियमों के अनुसार बढ़ाए गए हैं या नहीं। एक जगह पर आप 12,000 रुपये चार्ज करते हैं, अब आप कहते हैं कि हम उसको हटा रहे हैं, तो जिन लोगों से आपने पहले ज्यादा चार्ज किया था, क्या आप उनको वह रुपया लौटाने जा रहे हैं? कई जगह आपने दामों को बढ़ाया ही नहीं।

मेरे पास यह एक लिस्ट है कि आपने कितने कितने दाम बढ़ाये। राजौरी गार्डन में एम०आई०जी० के टाइप 'ए' और 'बी' में ग्राउण्ड फ्लोर फ्लैट की डिस्पोजल कास्ट 58,100 रुपये है, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 70,000 रुपये। फर्स्ट फ्लोर की डिस्पोजल कास्ट 57,500 रुपये थी, जब कि आपने फाइनली चार्ज किया 69,000 रुपये। इसी तरह सैकिण्ड फ्लोर की डिस्पोजल कास्ट 55,800 रुपये थी, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 70,000 रुपये। टाइप 'सी' में ग्राउण्ड फ्लोर के फ्लैट की डिस्पोजल कास्ट 63,700 रुपये थी, लेकिन उसका चार्ज किया 72,000 रुपये।

वजीरपुर में टाइप 'ए' और 'बी' के ग्राउण्ड फ्लोर की डिस्पोजल कास्ट 63,100 रुपये थी, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 64,000 रुपये। वहां पर फर्स्ट फ्लोर की डिस्पोजल कास्ट 57,200 रुपये थी, लेकिन आपने फाइनली चार्ज किया 59,000 रुपये। इसके अलावा भी फ्लैट्स से मैन्टिनैन्स चार्ज आप लेते हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि जब डी०डी०ए० फ्लैट बेच देता है तो उसके बाद वह उसको मैन्टेन नहीं करता। जब आप फ्लैट बेचने के बाद उसको मैन्टेन नहीं करते हैं तो फिर आपने मैन्टिनेंस चार्जिज क्यों रखे हुए हैं?

मैंने डी०डी०ए० के सिर्फ एक पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाया है। इसके बारे में मैंने और मेरे कई साथियों ने प्रश्न

[श्री राम किशोर परसवानी]

पूछे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एमर्जेंसी के दौरान यहां पर जो करप्शन हुआ है, अगर उसकी सही इन्क्वायरी की जाए तो मैं समझता हूं कि डी०डी०ए० का घोटाला एक महाकाण्ड बन सकता है।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या डी०डी०ए० के पास कोई ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह प्रभार लगा सकता है? यदि नहीं, तो किस आधार पर प्रभार लगाया गया है ?

क्या एक ही वर्ग की दो कालोनियों में लोकप्रियता के आधार पर भिन्न-भिन्न रूप से प्रभार लगाया जा सकता है? यदि हां, तो लोकप्रियता का मापदण्ड क्या है? मैं इस सम्बन्ध में एक दो का नाम भी लेना चाहता हूं जैसे कटवारिया सराय है, मुनीरका है, सफदरजंग है, उस के मुकाबले में मायापुरी वगैरह है जिस में आप ने प्रभार लगाया है, क्या यह अधिक लोकप्रिय है, क्या वह अधिक सुविधाजनक है या उस से कम सुविधाजनक है? क्या वहां ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है फ्लैट्स के लिए या इन स्थानों में किया है?

मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो सैटिस्फैक्स चार्ज अभी तक ले रहे थे फ्लैट के ऊपर, क्या सरकार अब के बाद जो फ्लैट आवंटन करेगी उस में इस नाम का कोई कालम नहीं रखेगा और जो आप ने पैसा वसूला है, जैसा कि आपने कहा है कि इन स्थानों पर फिर सरचार्ज नहीं लगाये जा रहे हैं, इस का मतलब है कि जो पहले के रेट पर मिलते थे उस रेट पर दिये जा रहे हैं तो इस बीच में जिन लोगों को आप ने पैसा लिया है उन को वह पैसा लौटाने जा रहे हैं?

सभापति महोदय: डा० रामजी सिंह।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): On a point of order, Sir. We have raised a very serious matter. The House should know before it adjourns. There is hardly any time. We should get a reply. You say that the House wants a reply before 6 o'clock. Please convey this.

MR. CHAIRMAN: The matter is with the Speaker. I am sure you will know in time.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Not on Monday. We understand something is going in. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: That is your assumption.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: No, it is not assumption. It is a fact. (*Interruptions*).

श्री युवराज (कटिहार): सभापति महोदय, मेरा एक प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन है कि हाउस में कोरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Ring the bell.

There is no quorum. So, the House stands adjourned till 11 a.m. on 31st July.

17.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 31, 1978/Sravana 9, 1900 (Saka).

GMGIPND—1846 LS—880.